राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–4) विभाग

विषय :– "राजस्थान–मिशन 2030 अभियान" हेतु दिशा–निर्देश बाबत्।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रदेश के बहुमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान **हेतु "विजन दस्तावेज–2030 (Vision Document-2030)"** तैयार किया जा रहा है। इस उद्देश्य से राज्य में **"राजस्थान–मिशन 2030 अभियान"** दिनांक 15.08.2023 से 30.09.2023 की अवधि में संचालित किया जा रहा है।

राजस्थान–मिशन 2030 अभियान के सफल संचालन हेतु तैयार दिशा–निर्देश संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति0 मुख्य सचिव
समस्त प्रमुख शासन सचिव
समस्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ–4(1)आयो./ग्रुप–4/2023
जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री।
2. विशेषाधिकारी मुख्य सचिव।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. समस्त कलक्टर।
7. आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय।

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान–मिशन 2030

दिशा–निर्देश

A. प्रस्तावना

राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्व है। सरकार का प्रयास है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने। इस हेतु हर क्षेत्र के लिए मानकों के निर्धारण एवं इन मानकों को प्राप्त करने हेतु समयबद्व कार्ययोजना तैयार किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (CMRETAC) के नेतृत्व में राज्य का **"विजन दस्तावेज 2030"** तैयार करने का निर्णय लिया गया है। यह आवश्यक है कि इस दस्तावेज में प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जावे। इस उद्देश्य से राज्य में **"राजस्थान–मिशन 2030" अभियान** दिनांक 15.08.2023 से 30.09.2023 की अवधि में संचालित किया जायेगा।

B. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान के अन्तर्गत प्रमुखतया निम्न गतिविधियां संचालित की जायेंगी–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 के उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं तथा राज्य सरकार की हितधारकों/प्रतिभागियों से अपेक्षाओं के संबंध में संबोधन
2. आमजन से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में ऑनलाइन अपेक्षाएं/विचार/सुझाव आमंत्रित करना
3. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में ऑनलाइन विचार/ सुझाव आमंत्रित करना
4. विभागीय स्तर पर संबंधित हितधारकों के साथ राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में गहन परामर्श (Intensive Consultation) करना
5. राजस्थान–मिशन 2030 फेस टू फेस सर्वे
6. राजस्थान–मिशन 2030 आईवीआर सर्वे
7. राजस्थान–मिशन 2030 विषय पर स्कूलों/कॉलेजों में लेख प्रतियोगिताएं आयोजित करना
8. राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट
9. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों/प्रभावशाली समूहों के साथ सवांद/मुलाकात
10. विभागों द्वारा विभागीय मिशन दस्तावेज – 2030 का प्रारूप (Draft of Departmental Mission Document) तैयार करना

11. विभागीय मिशन – 2030 दस्तावेजों का सेक्टर–वाईज प्रकाशन
12. राज्य के विजन–2030 दस्तावेज को जारी करना

C. गतिविधियों का विस्तृत विवरण एवं विभागों की भूमिका–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में संबोधनः

i. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 के उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं तथा राज्य सरकार की हितधारकों/प्रतिभागियों से अपेक्षाओं के संबंध में उद्बोधन प्रदान किया जायेगा। यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर जयपुर में आयोजित होगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे तथा प्रत्येक जिले में 500 चयनित युवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में भाग लेंगे।

ii. **प्रत्येक विभाग** द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित प्रतिभागियों (आयोजना विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली संख्या के अनुसार) यथा– प्रबुद्धजन, विषय विशेषज्ञ, युवा, स्वयंसेवी/स्वैच्छिक संगठनों व अन्य संगठनों/फेडरेशन के प्रतिनिधिगण इत्यादि को चिन्हित किया जायेगा, उनसे सम्पर्क किया जायेगा एवं उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने हेतु विधिवत (पत्र द्वारा, व्यक्तिशः, टेलीफोन) आमंत्रित किया जायेगा। विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत विचारों के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

iii. **आयोजना विभाग** द्वारा इस कार्यक्रम हेतु समस्त व्यवस्थाएं की जायेंगी।

iv. **सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग** द्वारा कार्यक्रम स्थल एवं जिला स्तर पर वीडियो कांफ्रेसिंग आयोजित किये जाने हेतु समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी।

v. **सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग** द्वारा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।

vi. **समस्त जिला कलक्टर** जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी होंगे। वे इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिले के 500 युवाओं का चयन करेंगे एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम में उन्हें बुलाकर वी.सी. के माध्यम से उन्हें जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। **समस्त जिला कलक्टर्स** द्वारा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जायेगा।

2. आमजन से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में ऑनलाइन अपेक्षाएं/विचार/सुझाव आमंत्रित करनाः

i. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 के लिए एक वेबसाईट/पोर्टल तैयार किया जायेगा।

ii. आमजन से इस वेबसाईट/पोर्टल पर राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में ऑनलाईन अपेक्षाएं/विचार/सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे।

iii. आयोजना विभाग द्वारा आमजन से मिशन 2030 के संबंध में अपेक्षाएं/विचार/सुझाव ऑनलाइन आमंत्रित करने हेतु टेम्पलेट/प्रक्रिया तैयार की जायेगी।

3. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में ऑनलाइन विचार/सुझाव आमंत्रित करना:

i. प्रत्येक विभाग अपने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में ऑनलाइन विचार/सुझाव आमंत्रित करेगा।

ii. आयोजना विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में अपेक्षाएं/विचार/सुझाव ऑनलाइन आमंत्रित करने हेतु टेम्पलेट/प्रक्रिया तैयार की जायेगी।

4. विभागीय स्तर पर संबंधित हितधारकों के साथ राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में गहन परामर्श (Intensive Consultation) करना:

i. प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभाग से संबंधित हितधारकों के साथ राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में गहन परामर्श (Intensive Consultation) किया जायेगा एवं प्राप्त उपयोगी सुझावों व महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अपने विभाग से संबंधित मिशन–2030 दस्तावेज के प्रारूप में सम्मिलित किया जायेगा। इन परामर्शों के लिये सेक्टरवार हितधारकों की Indicative List **Annexure-I** पर संलग्न है।

ii. यह परामर्श प्रत्येक विभाग द्वारा 23 अगस्त से प्रारम्भ कर 15 सितम्बर तक पूर्ण किये जाएंगे।

iii. प्रत्येक विभाग द्वारा जिला/संभाग स्तर पर भी संबंधित हितधारकों के साथ राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में गहन परामर्श (Intensive Consultation) आयोजित किये जाएंगे। यह गहन परामर्श आवश्यकतानुसार विभागों के समूह बनाकर भी संबंधित हितधारकों से एक साथ किये जा सकेंगे।

iv. इस गतिविधि के लिये प्रत्येक विभाग संबंधित हितधारकों का स्वयं चयन करेगा तथा अधिकाधिक हितधारकों से परामर्श करेगा।

v. प्रत्येक विभाग इस हितधारक परामर्श गतिविधि का विस्तृत शिड्यूल संलग्न प्रारूप (**Annexure-II**) में बनाकर 21 अगस्त, 2023 दोपहर 1 बजे तक आयोजना विभाग के साथ साझा करेगा एवं इस गतिविधि का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करेगा।

vi. प्रत्येक विभाग आवश्यकतानुसार हितधारक परामर्श गतिविधियों में आमजन को भी आमंत्रित करेगा।

vii. यह परामर्श विभाग द्वारा सुविधानुसार ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनों मोड में किया जायेगा।

viii. प्रत्येक परामर्श से पहले विभाग अपनी उपलब्धियों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण देगा और उसके बाद सुझाव आमंत्रित करेगा।

ix. प्रत्येक विभाग अपने विभाग से संबंधित हितधारक परामर्शों के लिये Background Note तैयार कर परामर्श से दो–तीन दिवस पूर्व हितधारकों को उपलब्ध करवायेगा ताकि हितधारकों से परामर्श के दौरान उपयोगी सुझाव प्राप्त हो सकें।

x. प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि उनका प्रस्तुतीकरण आमजन की समझ पर आधारित हो।

xi. प्रत्येक विभाग सभी हितधारक परामर्श गतिविधियों का पूर्ण Documentation करेगा और इन हितधारक परामर्श गतिविधियों के फोटो और वीडियो बनवाकर मिशन 2030 की वेबसाईट पर अपलोड करेगा एवं अपने सोशल मीडिया हेन्डल्स पर भी **#RajasthanMission2030** के साथ अपलोड करेगा।

xii. इन सभी हितधारक परामर्श गतिविधियों की राजस्थान–मिशन 2030 के थीम के अनुसार उचित Branding भी की जाएगी।

xiii. प्रत्येक विभाग श्रेष्ठ सुझाव देने वाले आमजन या हितधारक को पुरस्कृत करने के बारे में भी विचार कर सकता है।

5. राजस्थान–मिशन 2030 फेस टू फेस सर्वेः

i. प्रदेशवासी भविष्य में अपने विकास को किस दृष्टि से देखते हैं तथा वे राजस्थान को वर्ष 2030 में कहां देखना चाहते है, के संबंध में राज्यभर में आमजन से फेस टू फेस सर्वे भी इस दौरान किया जाएगा।

ii. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा अहिंसा एवं शांति विभाग द्वारा अपने **राजीव गांधी युवा मित्रों** एवं **महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों** के माध्यम से यह फेस टू फेस सर्वे कराया जायेगा।

iii. **आयोजना विभाग / सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग** द्वारा सर्वे हेतु प्रश्नावली एवं प्रक्रिया तैयार की जायेगी। यह सर्वे प्रश्नावली स्मार्ट फोन पर गूगल फॉर्म के माध्यम से भरी जायेगी।

iv. **सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग** द्वारा गूगल फॉर्म प्रणाली के माध्यम से सर्वे किये जाने एवं इस सर्वे हेतु एक ठोस verification सिस्टम तैयार किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्वे फॉर्म फेक या गलत नहीं भरे जा रहे हैं ताकि सर्वे के परिणाम वास्तविक, सही व जन आकांक्षाओं के अनुरूप हों।

v. **आयोजना विभाग** द्वारा सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जाकर प्रकाशित की जायेगी। यह सर्वे रिपोर्ट संक्षिप्त होगी जो 25 सितम्बर, 2023 को सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी।

vi. **समस्त जिला कलक्टर्स** द्वारा सर्वे कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों/विकास अधिकारियों को पाबंद किया जायेगा।

6. मिशन 2030 आईवीआर सर्वे (IVR Survey):

i. राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में आमजन से अपेक्षाएं एवं सुझाव आंमत्रित करने के लिए आमजन से मुफ्त आईवीआर सर्वे (IVR Survey) के माध्यम से भाग लेने के लिए निवेदन किया जायेगा।

ii. यह सर्वे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से जहां फेस टू फेस सर्वे किये जाने में कठिनाई हो, वहां किया जायेगा।

iii. **आयोजना विभाग** द्वारा आईवीआर सर्वे (IVR Survey) हेतु प्रश्नावली तैयार की जायेगी।

iv. **सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग** आईवीआर सर्वे (IVR Survey) हेतु सर्वे की कार्य प्रणाली तैयार की जायेगी।

v. यह सर्वे 31 अगस्त, 2023 से प्रारम्भ किया जाएगा।

vi. इस सर्वे की रिपोर्ट भी फेस–टू–फेस सर्वे की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।

7. राजस्थान–मिशन 2030 विषय पर स्कूलों/कॉलेजों में लेख प्रतियोगिताएं आयोजित करना:

i. **स्कूल शिक्षा विभाग एवं कॉलेज शिक्षा विभाग** द्वारा युवाओं को राजस्थान–मिशन 2030 से जोड़ने एवं भविष्य के राजस्थान के बारे में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समस्त स्कूलों (9^{th} Class and above) एवं कॉलेजों (सभी विश्वविद्यालयों के संघठक कॉलेजों सहित) में राजस्थान–मिशन 2030 विषय पर लेख प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।

ii. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं कॉलेजों (सभी विश्वविद्यालयों के संघठक कॉलेजों सहित) के प्राचार्यों द्वारा प्रतियोगिता के आयोजन की कार्य योजना तैयार की जायेगी।

iii. प्रतियोगिता संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों एवं कॉलेजों (सभी विश्वविद्यालयों के संघठक कॉलेजों सहित) के प्राचार्यों द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

a) प्रत्येक कक्षा शिक्षक (Class Teacher) को कक्षा के सर्वश्रेष्ठ लेख का चयन करना होगा।

b) प्रत्येक स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल के सर्वश्रेष्ठ लेख का चयन कर CBEO को भिजवाना होगा।

c) प्रत्येक CBEO को अपने ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ लेख का चयन कर CDEO को भिजवाना होगा।

d) प्रत्येक CDEO को जिले के सर्वश्रेष्ठ लेख का चयन करना होगा।

e) प्रत्येक कॉलेज के प्राचार्य को कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ लेख का चयन करना होगा।

f) प्रत्येक जिले की नोडल कॉलेज के प्राचार्य को जिले की सभी कॉलेजों से सर्वश्रेष्ठ लेख का चयन करना होगा।

g) प्रत्येक जिले से स्कूलों/कॉलेजों से चयनित सर्वश्रेष्ठ लेख को आयोजना विभाग को भिजवाया जायेगा जिन्हें अलग से प्रकाशित किया जायेगा।

iv. यह लेख प्रतियोगिता सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी स्कूलों (9th Class and above) व कॉलेजों (सभी विश्वविद्यालयों के संघठक कॉलेजों सहित) में आयोजित की जाएगी।

v. यह प्रतियोगिता 31 अगस्त को लॉन्च की जाएगी।

vi. स्कूल शिक्षा विभाग एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा इसका पूरा एक शिड्यूल बनाकर 25 अगस्त तक आयोजना विभाग को भिजवाया जाएगा।

vii. स्कूल शिक्षा विभाग एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रतियोगिता का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा एवं अधिकाधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

viii. इन प्रतियोगिताओं के आयोजन व विजेताओं को प्रमाण पत्र, पुरस्कार आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा यथोचित राशि आवंटित की जायेगी।

ix. सर्वश्रेष्ठ लेख हेतु पुरस्कार प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर दिये जायेंगे तथा दोनों ही वर्गों में सर्वश्रेष्ठ लेख हेतु जिला स्तरीय पुरस्कार भी दिया जायेगा।

8. राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट:

i. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट संचालित किया जायेगा। आमजन इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से राजस्थान–मिशन 2030 के लिए अपने सुझाव वाले वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर प्रतिदिन पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे।

ii. वर्तमान में संचालित जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को ही दिनांक 6 सितम्बर, 2023 से राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में परिवर्तित किया जायेगा।

iii. आयोजना विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

iv. **सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग** द्वारा जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट हेतु वर्तमान में संचालित पोर्टल/वेबसाईट में राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट हेतु आवश्यक परिवर्तन (Redesigning of website) किया जायेगा।

v. **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे–

a) Outdoor Branding
b) Digital Ads
c) Videos and Graphics on Social Media
d) Participation by Influencers

vi. राज्य स्तरीय पुरस्कारों के चयन में CMRETAC की मदद ली जाएगी।

9. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विभिन्न हितधारकों/प्रभावशाली समूहों के साथ संवाद/मुलाकातः

i. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अगस्त–सितम्बर में राजस्थान–मिशन 2030 के सदंर्भ में विभिन्न हितधारकों/प्रभावशाली समूहों यथा जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टर्स, गिग वर्कर्स इत्यादि के साथ संवाद/मुलाकात की जायेगी।

ii. यह संवाद/मुलाकात संबंधित विभागों द्वारा आयोजना विभाग के माध्यम से आयोजित किये जाएंगे।

10. विभागों द्वारा विभागीय मिशन दस्तावेज – 2030 का प्रारूप (Draft of Departmental Mission Document) तैयार करना :

i. प्रत्येक विभाग आयोजना विभाग द्वारा निर्धारित टेम्पलेट के अनुसार विभागीय मिशन दस्तावेज – 2030 का प्रारूप तैयार करेगा, जिसमें निम्नानुसार बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाना हैः

a) मिशन स्टेटमेंट
b) गैप्स एवं चुनौतियां
c) वर्ष 2030 के लिये प्रतिबद्धता व लक्ष्य
d) लक्ष्यों की प्राप्त करने हेतु रणनीति

ii. प्रत्येक विभाग द्वारा निम्न प्रक्रियाओं के अनुसार अपने विभाग से संबंधित प्राप्त अपेक्षाएं/विचारों/सुझावों का अध्ययन कर उपयोगी सुझावों का संकलन किया जायेगा एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं का चयन कर अपने विभाग से संबंधित विभागीय मिशन दस्तावेज – 2030 के प्रारूप में सम्मिलित किया जायेगाः

a) वेबसाईट/पोर्टल पर **आमजन से प्राप्त** अपेक्षाएं/विचार/सुझाव

b) समस्त **विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से** राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में वेबसाईट/पोर्टल पर प्राप्त अपेक्षाएं/विचार/सुझाव

c) विभाग से **संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के दौरान प्राप्त** अपेक्षाएं/विचार/सुझाव

d) राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में **माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विभिन्न हितधारकों/प्रभावशाली समूहों के साथ संवाद/मुलाकात के दौरान** विभाग के संबंध में प्राप्त अपेक्षाएं/विचार/सुझाव

iii. सितम्बर के तीसरे सप्ताह में विभाग अपने विभागीय मिशन – 2030 दस्तावेजों का सेक्टर–वाईज प्रकाशन शुरू करेंगे जिसका Date wise Schedule **आयोजना विभाग** द्वारा जारी किया जाएगा।

iv. इसके लिए विभागों को सेक्टरों में वर्गीकृत **(Annexure-III)** किया जा रहा है एवं प्रतिदिन एक सेक्टर का मिशन दस्तावेज प्रकाशित किया जाएगा।

11. राजस्थान–मिशन 2030 की वेबसाइट/पोर्टलः

i. **सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग** द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 की एक वेबसाईट तैयार की जायेगी।

ii. राजस्थान–मिशन 2030 हेतु सर्वे आयोजित किये जाने (अपेक्षाएं/विचार/सुझाव आमंत्रित करने) हेतु फॉर्म हिन्दी भाषा में उपलब्ध होंगे जिसे कोई भी व्यक्ति लॉगिन करके भर सकेगा।

iii. राज्य के युवाओं को लक्षित रखकर डिजिटल विज्ञापन तैयार कर उसे सभी विभागों की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा (अपेक्षाएं/विचार/सुझाव आमंत्रित करने के लिए)। जिससे अधिक से अधिक युवा वेबसाईट पर जाकर सर्वे फॉर्म को भरें।

iv. वेबसाईट पर राजस्थान–मिशन 2030 से संबंधित कार्यक्रमों यथा– फेस टू फेस सर्वे, आईवीआर सर्वे, लेख प्रतियोगिता, विभागों को सुझाव प्रेषित करने की प्रक्रिया, राजस्थान–मिशन 2030 अभियान के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

12. राज्य के विजन–2030 दस्तावेज को जारी करनाः

i. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान के अंतिम चरण में (25 से 30 सितम्बर के बीच) राज्य स्तर पर एक वृहद् कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित होगीः

a) राज्य के विजन–2030 दस्तावेज को जारी करना।

b) दस्तावेज की शीर्ष 10 प्राथमिकताओं की Branding करना।

c) राज्य सरकार की सभी अब तक संचालित की जा रही प्रमुख योजनाओं एवं गतिविधियों को समग्र रूप से प्रस्तुत करना।

ii. कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आगामी 7 वर्षों के लिए विकसित राजस्थान 2030 के लिए अपने दृष्टिकोण पर उद्बोधन प्रदान किया जायेगा।

D. **कोर ग्रुप का गठनः–** राजस्थान–मिशन 2030 अभियान के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार एक कोर ग्रुप का गठन किया जा रहा हैः–

1. श्री भवानी सिंह देथा, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना – अध्यक्ष
2. श्रीमती अर्चना सिंह, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग – सदस्य
3. श्री इन्द्रजीत सिंह, आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य
4. डॉ. जितेन्द्र सोनी, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – सदस्य
5. श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, कृषि – सदस्य
6. श्री सुशील कुमार कुलहरी, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना –सदस्य सचिव

E. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान में सम्मिलित गतिविधियों की Tentative Timelines–

क्र.सं.	गतिविधि	दिनांक / अवधि	गतिविधि हेतु प्रभारी विभाग
1.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 के उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं तथा राज्य सरकार की हितधारकों / प्रतिभागियों अपेक्षाओं के संबंध में संबोधन	22 अगस्त 2023	• आयोजना विभाग • अन्य सभी विभागों को intellectuals आमंत्रित करने हैं
2.	राजस्थान–मिशन 2030 अभियान वेबसाईट / पोर्टल की लॉचिंग	31 अगस्त 2023	• आयोजना विभाग • सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
3.	आमजन से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में ऑनलाइन अपेक्षाएं / विचार / सुझाव आमंत्रित करना (वेबसाईट पर फॉर्म के माध्यम से)	31 अगस्त 2023 से प्रारंभ	• वेबसाईट DoIT बनाएगा • प्रचार–प्रसार DIPR करेगा • सुझाव समस्त विभागों को मिलेंगे
4.	विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में ऑनलाइन विचार / सुझाव आमंत्रित करना (वेबसाईट पर फॉर्म के माध्यम से)	31 अगस्त 2023 से प्रारंभ	समस्त विभाग
5.	विभागीय स्तर पर संबंधित हितधारकों के साथ मिशन 2030 के संबंध में गहन परामर्श (Intensive Consultation) करना	23 अगस्त 2023 से 15 सितम्बर तक	समस्त विभाग
6.	राजस्थान–मिशन 2030 फेस टू फेस सर्वे	31 अगस्त 2023 से प्रारंभ	• आयोजना विभाग • शान्ति एवं अहिंसा विभाग • सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
7.	राजस्थान–मिशन 2030 आईवीआर सर्वे	31 अगस्त 2023 से प्रारंभ	• आयोजना विभाग • सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
8.	राजस्थान–मिशन 2030 विषय पर स्कूलों / कॉलेजों में लेख प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं सर्वश्रेष्ठ निबंध आयोजना विभाग को भिजवाना	31 अगस्त 2023 से 15 सितम्बर 2023 तक	• स्कूल शिक्षा विभाग • उच्च शिक्षा विभाग
9.	मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट	6 सितम्बर 2023 से प्रारंभ	• आयोजना विभाग • सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
10.	विभागों द्वारा विभागीय मिशन दस्तावेज –	15 सितम्बर 2023 तक	समस्त विभाग

क्र.सं.	गतिविधि	दिनांक / अवधि	गतिविधि हेतु प्रभारी विभाग
	2030 का प्रारूप (Draft of Departmental Mission Document) तैयार करना		
11.	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों / प्रभावशाली समूहों के साथ संवाद / मुलाकात	माह अगस्त–सितम्बर 2023	• आयोजना विभाग • हितधारकों से संबंधित विभाग
12.	विभागीय मिशन – 2030 दस्तावेजों का सेक्टर–वाईज प्रकाशन	सितम्बर 2023 के तीसरे सप्ताह से (प्रतिदिन एक सेक्टर का)	समस्त विभाग
13.	राजस्थान–मिशन 2030 फेस टू फेस सर्वे एवं आईवीआर सर्वे रिपोर्ट प्रकाशन	25 सितम्बर 2023	• आयोजना विभाग
14.	राज्य के विजन–2030 दस्तावेज को जारी करना	25 से 30 सितम्बर 2023 के मध्य किसी एक दिन राज्य स्तरीय समारोह में	• आयोजना विभाग • CMRETAC • अन्य सभी विभाग भी उपस्थित रहेंगे

F. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान के संबंध में विभागों की भूमिका

1. आयोजना विभाग

i. ''राजस्थान–मिशन 2030 अभियान'' हेतु आयोजना विभाग नोडल विभाग होगा।

ii. अभियान हेतु प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) का गठन करना।

iii. माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समस्त व्यवस्थाएं आयोजना विभाग द्वारा करवाई जायेंगी।

iv. अभियान की तैयारी एवं समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदया के स्तर पर आयोजित बैठकों का आयोजन संबंधी कार्य।

v. आमजन / विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में अपेक्षाएं / विचार / सुझाव ऑनलाइन आमंत्रित करने हेतु टेम्पलेट / प्रक्रिया तैयार करना।

vi. परामर्श से पहले विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों के बारे में दिये जाने वाले विस्तृत प्रस्तुतीकरण हेतु उपलब्धियों की Indicative List उपलब्ध कराएगा।

vii. फेस टू फेस सर्वे एवं आईवीआर सर्वे (IVR Survey) हेतु प्रश्नावली तैयार करना एवं प्रक्रिया निर्धारित करना।

viii. राजस्थान–मिशन 2030 अन्तर्गत किये जाने वाले फेस टू फेस सर्वे हेतु राजीव गांधी युवा मित्र की सेवायें उपलब्ध कराना एवं सर्वे कार्य सम्पादित करना।

ix. वर्तमान में संचालित जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को ही दिनांक 6 सितम्बर, 2023 से राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में परिवर्तित किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना।

x. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान हेतु आवश्यक बजट का आंकलन कर विभिन्न मदों में आवश्यक राशि का प्रावधान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के बजट मद में किये जाने के लिये वित्त विभाग एवं अन्य स्तर से सहमति प्राप्त करना।

xi. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में संबोधन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम तथा राज्य के विजन–2030 दस्तावेज को जारी करने के लिये अन्त में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की व्यवस्थाएं करना।

xii. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विभिन्न हितधारकों/प्रभावशाली समूहों के साथ संवाद/मुलाकात के कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं करना।

xiii. हितधारक परामर्शो के लिए विभागों को कोर ग्रुप के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करवाना।

xiv. फेस टू फेस सर्वे एवं IVR Survey की रिपोर्ट तैयार कर उसे 25 सितम्बर, 2023 को सार्वजनिक कराना।

xv. अभियान हेतु समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना।

2. CMRETAC की भूमिका

i. राज्य के विजन–2030 दस्तावेज को अन्तिम रूप देना।

ii. विभागों से कोर ग्रुप के माध्यम से प्राप्त इनपुट्स, प्रासंगिक दस्तावेजों के अध्ययन/विश्लेषण, विषय विशेषज्ञों से आवश्यक Interaction, राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विजन–2030 दस्तावेज को अन्तिम रूप देना।

3. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

i. ''राजस्थान–मिशन 2030 अभियान'' हेतु वेबसाईट/पोर्टल तैयार करना एवं उसके संबंध में दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार कार्य करना।

ii. अभियान अवधि में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम स्थल एवं जिला स्तर पर वीडियो कांफ्रेसिंग आयोजित किये जाने हेतु समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।

iii. अभियान अन्तर्गत फेस टू फेस सर्वे के लिए गूगल फॉर्म प्रणाली विकसित करना एवं इस सर्वे की गुणवता/प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु verification सिस्टम तैयार करना।

iv. अभियान अन्तर्गत आईवीआर सर्वे (IVR Survey) हेतु टोल फ्री नम्बर स्थापित करना, सर्वे प्रश्नावली एवं सर्वे की कार्य प्रणाली तैयार करना।

v. वर्तमान में संचालित जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की पोर्टल/वेबसाईट को 6 सितम्बर से राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट हेतु परिवर्तित (Redesigning of website) करना।

vi. राज्य के युवाओं को लक्षित रखकर डिजिटल विज्ञापन तैयार कर उसे सभी विभागों की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा जिससे अधिक से अधिक युवा वेबसाईट पर जाकर अभियान संबंधी सर्वे फॉर्म को भर सकें।

4. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

i. "राजस्थान–मिशन 2030 अभियान" के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना।

ii. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान के दौरान विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, हितधारकों से परामर्शों इत्यादि के दौरान बैठक स्थलों पर अभियान की पर्याप्त ब्रान्डिंग करना।

iii. अभियान से संबंधित अन्य गतिविधियों यथा–फेस टू फेस सर्वे, आईवीआर सर्वे, लेख प्रतियोगिताओं इत्यादि का व्यापक प्रचार प्रसार करना एवं इस संबंध में वीडियोज तैयार करवाना।

iv. "राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट" के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए निम्नानुसार कार्य करना–

   a) Outdoor Branding
   b) Digital Ads
   c) Videos and Graphics on Social Media
   d) Participation by Influencers

v. प्रतिदिन राजस्थान–मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में घोषित किये गये पुरस्कार विजेताओं के संबंध में प्रेस नोट जारी करना एवं उसका विभिन्न मीडिया पर प्रचार–प्रसार करना।

5. स्कूल शिक्षा विभाग एवं कॉलेज शिक्षा विभाग

i. दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार मिशन 2030 विषय पर लेख प्रतियोगिताएं आयोजित किये जाने संबंधी समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

6. शांति एवं अहिंसा विभाग

i. राजस्थान–मिशन 2030 अन्तर्गत किये जाने वाले फेस टू फेस सर्वे हेतु महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की सेवायें उपलब्ध कराना, उन्हें सर्वे हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सर्वे कार्य हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कराना।

7. समस्त विभाग

i. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 के उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं तथा राज्य सरकार की हितधारकों/प्रतिभागियों से अपेक्षाओं के संबंध में उद्बोधन कार्यक्रम हेतु अपने विभाग से संबंधित प्रतिभागियों (आयोजना विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली संख्या के अनुसार) यथा– प्रबुद्धजन, विषय विशेषज्ञ, युवा, स्वयंसेवी/स्वैच्छिक संगठनों व अन्य संगठनों/फेडरेशन के प्रतिनिधि इत्यादि को चिन्हित करना, उनसे सम्पर्क करना एवं कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।

ii. अपने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में ऑनलाईन विचार/सुझाव आमंत्रित करना।

iii. अपने विभाग से संबंधित हितधारकों का चयन करना तथा अधिकाधिक हितधारकों से परामर्श (सुविधानुसार ऑनलाईन और ऑफलाईन मोड में) करना।

iv. अपने विभाग की हितधारक परामर्श गतिविधि का विस्तृत शिड्यूल संलग्न प्रारूप (**Annexure-II**) में बनाकर 21 अगस्त, 2023 दोपहर 1 बजे तक आयोजना विभाग के साथ साझा करना।

v. शिड्यूल के अनुसार निर्धारित समयावधि में समस्त परामर्श पूर्ण करना।

vi. विभाग की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण तैयार करना एवं प्रत्येक परामर्श से पहले हितधारकों के समक्ष उसे प्रस्तुत करना।

vii. अपने विभाग से संबंधित हितधारक परामर्शों के लिये Background Note तैयार कर परामर्श से दो–तीन दिवस पूर्व हितधारकों को उपलब्ध करवाना ताकि हितधारकों से परामर्श के दौरान उपयोगी सुझाव प्राप्त हो सकें।

viii. विभाग की परामर्श बैठकों का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करना।

ix. विभाग की परामर्श बैठकों के फोटो, वीडियो इत्यादि को अपने सोशल मीडिया हेन्डल्स पर **#RajasthanMission2030** के साथ अपलोड करना।

x. श्रेष्ठ सुझाव देने वाले आमजन या हितधारक को पुरस्कृत करने के बारे में निर्णय करना।

xi. दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार विभागीय मिशन दस्तावेज – 2030 का प्रारूप तैयार करने एवं प्रकाशित करने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना।

8. समस्त जिला कलक्टर

i. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान–मिशन 2030 के संबंध में प्रथम संबोधन के संबंध में जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिले के 500 युवाओं का चयन करना एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम में उन्हें बुलाकर वी.सी. के माध्यम से उन्हें जोड़ने की व्यवस्था करना।

ii. इस अभियान के संबंध में अन्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम या हितधारक परामर्श के लिये आवश्यकतानुसार हितधारकों को बुलवाने एवं उन्हें वी.सी. के माध्यम से उन्हें जोड़ने की

व्यवस्था करना और जिले के सोशल मीडिया हेन्डल्स पर **#RajasthanMission2030** के साथ प्रसारित करना।

iii. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना।

iv. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले फेस टू फेस सर्वे कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों/विकास अधिकारियों को पाबंद करना।

v. राजस्थान–मिशन 2030 अभियान अन्तर्गत जिले में आयोजित किये जाने वाले फेस टू फेस सर्वे कार्य एवं हितधारक परामर्श गतिविधियों की मॉनिटरिंग करना।

इन दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन के लिए प्रमुख शासन सचिव, आयोजना सक्षम अधिकारी होंगे।

Annex-I

सेक्टरवार प्रस्तावित परामर्श

क्र. सं.	सेक्टर एवं संबंधित विभाग	परामर्श प्रतिनिधि
1	कृषि एवं संबद्ध सेक्टर • कृषि एवं उद्यानिकी • पशुपालन एवं डेयरी • सहकारिता • राहत	○ किसान आयोग के सदस्य ○ कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के शिक्षाविद ○ केन्दीय कृषि संस्थानों के प्रतिनिधि ○ कृषि उत्पादक संगठन ○ डेयरी फेडरेशन ○ खाद एवं बीज उत्पादक कम्पनियों के प्रतिनिधि ○ एसएलबीसी संयोजक ○ नाबार्ड प्रतिनिधि ○ प्रगतिशील किसान ○ विषय विशेषज्ञ ○ कृषि व्यवसाय उद्यमी ○ कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के प्रतिनिधि ○ सहकारी समितियों एवं फेडरेशनों के प्रतिनिधि ○ राजफेड ○ राज्य बीज निगम ○ फसल बीमा कम्पनियां
2	स्वास्थ्य एवं पोषण • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य • चिकित्सा शिक्षा • आयुर्वेद • महिला एवं बाल विकास-ICDS • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	○ चिकित्सा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के शिक्षाविद् ○ निदेशक, एम्स/राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ○ निजी चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि ○ विषय विशेषज्ञ ○ निजी अस्पताल श्रृंखलाओं के प्रतिनिधि ○ IMA/RMA/RNC/ राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल ○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ यूएन संस्थाओं के प्रतिनिधि ○ आंगनबाडी कार्यकर्ता संघ प्रतिनिधि
3	शिक्षा • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा • स्कूल शिक्षा • संस्कृत शिक्षा • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	○ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के शिक्षाविद् ○ निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि ○ अभिभावक संघ ○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ यूएन संस्थाओं के प्रतिनिधि ○ शिक्षक संघ प्रतिनिधि ○ राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि–IIT/IIM/MNIT इत्यादि

क्र. सं.	सेक्टर एवं संबंधित विभाग	परामर्श प्रतिनिधि
4	उद्योग एवं व्यापार • उद्योग • खान एवं भू–विज्ञान • पेट्रोलियम	○ उद्योग संगठनों/फेडरेशन के प्रतिनिधि ○ CII/FICCI/ASSOCHAM ○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ व्यापार संगठन ○ एसएलबीसी संयोजक ○ प्रख्यात उद्यमी ○ कर सलाहकार ○ इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ○ व्यापार यूनियन ○ खान मालिक एवं खनिज आधारित उद्यमों के प्रतिनिधि ○ परिवहन यूनियन के प्रतिनिधि ○ लॉजिस्टिक पार्कों के प्रतिनिधि
5	सामाजिक सुरक्षा • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता • बाल अधिकारिता • जनजाति क्षेत्रीय विकास • अल्पसंख्यक मामलात् • महिला एवं बाल विकास • सैनिक कल्याण • श्रम	○ महिला संगठन ○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ यूनएन संस्थाओं के प्रतिनिधि ○ उद्योग एवं व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि ○ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधि ○ प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता
6	आधारभूत संरचना • ऊर्जा • सडक (PWD) • परिवहन • नागरिक उड्डयन	○ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि ○ रेलवे प्रतिनिधि ○ टेलिकॉम कम्पनियां ○ थर्मल, सौर एवं पवन ऊर्जा कम्पनियों के प्रतिनिधि
7	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज • ग्रामीण विकास • पंचायती राज • राजीविका	○ पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि ○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ ग्रामीण विकास विशेषज्ञ ○ अरावली संस्थान

क्र. सं.	सेक्टर एवं संबंधित विभाग	परामर्श प्रतिनिधि
8	शहरी विकास एवं स्वच्छता • नगरीय विकास एवं आवासन • स्वायत्त शासन विभाग	○ विषय विशेषज्ञ ○ टाउन प्लानर्स ○ नगरीय निकायों के प्रतिनिधि ○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ बिल्डर्स संगठनों के प्रतिनिधि ○ निजी नगरीय परिवहन यूनियनों के प्रतिनिधि ○ स्ट्रीट वेन्डर यूनियनों के प्रतिनिधि
9	जल क्षेत्र • जल संसाधन • जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी • भू–संरक्षण एवं जल संग्रहण	○ कृषक संगठन ○ उद्यमी संगठन ○ केन्द्रीय जल संस्थानों के प्रतिनिधि ○ विषय विशेषज्ञ ○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ प्रेशर सिंचाई उपकरण निर्माता कम्पनियों के प्रतिनिधि ○ पर्यावरण विशेषज्ञ
10	पर्यटन विकास • पर्यटन • कला एवं संस्कृति • देवस्थान	○ होटल यूनियन ○ वन्य जीव, कला एवं संस्कृति, टूर एवं ट्रेवल विशेषज्ञ ○ ट्यूरिस्ट गाईड यूनियन ○ प्रख्यात धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधि
11	युवा, कौशल एवं रोजगार • कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता • युवा मामलात् एवं खेल	○ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षाविद् ○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट, एनसीसी इत्यादि के प्रतिनिधि ○ प्रख्यात खिलाडी ○ क्रीडा संगठनों के प्रतिनिधि ○ कौशल विश्वविद्यालय ○ कौशल प्रशिक्षण संस्थाएं ○ विषय विशेषज्ञ ○ व्यापार एवं उद्योगों के प्रतिनिधि ○ प्रख्यात स्टार्ट–अप
12	वन एवं पर्यावरण • वन • पर्यावरण • आपदा प्रबंधन	○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ उद्योग संगठन/फेडरेशन ○ विषय विशेषज्ञ ○ वन्य जीव विशेषज्ञ

13	प्रशासनिक सुधार एवं सेवा प्रदायगी • गृह • प्रशासनिक सुधार • कार्मिक विभाग एवं HCMRIPA • कानून • सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार • राजस्व	○ स्वयंसेवी संस्थाएं ○ सूचना प्रौद्योगिकी एवं डेटा साईंस विशेषज्ञ ○ विषय विशेषज्ञ ○ विभिन्न स्तरों के जन प्रतिनिधि ○ सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स ○ सार्वजनिक निवेश एवं व्यय प्रबंधन विशेषज्ञ
14	वित्तीय प्रबंधन • वित्त • परिवहन • खान एवं भू–विज्ञान • पेट्रोलियम	○ विषय विशेषज्ञ ○ कर सलाहकार ○ प्रख्यात उद्योगपति ○ औद्योगिक एवं व्यवसायिक संगठन ○ खान मालिक एवं खनन उद्यमी

Annexure-II

..... विभाग की हितधारक परामर्श गतिविधियों का Schedule

क्र. सं.	दिनांक	हितधारक परामर्श गतिविधि का Venue	परामर्श गतिविधि का मोड (ऑनलाईन/ऑफलाईन)	परामर्श गतिविधि किस अधिकारी/जन प्रतिनिधि के संयोजन में आयोजित की जायेगी।	संभावित हितधारकों का विवरण एवं संख्या	
					विवरण	संख्या
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

Annex-III

सेक्टर एवं संबंधित विभाग नोडल विभाग एवं सेक्टर समन्वयक

क्र. सं.	सेक्टर एवं संबंधित विभाग	नोडल विभाग	सेक्टर समन्वयक
1	कृषि एवं संबद्ध सेक्टर • कृषि एवं उद्यानिकी • पशुपालन एवं डेयरी • सहकारिता • राहत	कृषि एवं उद्यानिकी	शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी
2	स्वास्थ्य एवं पोषण • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य • चिकित्सा शिक्षा • आयुर्वेद • महिला एवं बाल विकास–ICDS • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3	शिक्षा • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा • स्कूल शिक्षा • संस्कृत शिक्षा • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	स्कूल शिक्षा	शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
4	उद्योग एवं व्यापार • उद्योग • खान एवं भू–विज्ञान • पेट्रोलियम	उद्योग	अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग
5	सामाजिक सुरक्षा • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता • बाल अधिकारिता • जनजाति क्षेत्रीय विकास • अल्पसंख्यक मामलात् • महिला एवं बाल विकास • सैनिक कल्याण • श्रम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
6	आधारभूत संरचना • ऊर्जा • सडक (PWD)	सार्वजनिक निर्माण विभाग	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्र. सं.	सेक्टर एवं संबंधित विभाग	नोडल विभाग	सेक्टर समन्वयक
	• परिवहन • नागरिक उड्डयन		
7	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज • ग्रामीण विकास • पंचायतीराज • राजीविका	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
8	शहरी विकास एवं स्वच्छता • नगरीय विकास एवं आवासन • स्वायत्त शासन विभाग	नगरीय विकास एवं आवासन	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन
9	जल क्षेत्र • जल संसाधन • जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी • भू–संरक्षण एवं जल संग्रहण	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी	अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी
10	पर्यटन विकास • पर्यटन • कला एवं संस्कृति • देवस्थान	पर्यटन	प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन
11	युवा, कौशल एवं रोजगार • कौशल, रोजगार एव उद्यमिता • युवा मामलात् एवं खेल	कौशल एवं रोजगार	शासन सचिव, कौशल एवं रोजगार
12	वन एवं पर्यावरण • वन • पर्यावरण • आपदा प्रबंधन	वन एवं पर्यावरण	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण
13	प्रशासनिक सुधार एवं सेवा प्रदायगी • गृह • प्रशासनिक सुधार • कार्मिक विभाग एवं HCMRIPA • कानून • सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार • राजस्व	सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार	शासन सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार

क्र. सं.	सेक्टर एवं संबंधित विभाग	नोडल विभाग	सेक्टर समन्वयक
14	वित्तीय प्रबंधन • वित्त • परिवहन • खान एवं भू–विज्ञान • पेट्रोलियम	वित्त विभाग	शासन सचिव, वित (राजस्व)